डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 221 ए/2024

वादी

1. भंवरलाल पुत्र सुण्डाराम
2. बलदेव राम पुत्र सुण्डाराम जातियान जाट निवासीगण फरड़ोद तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुण्डाराम पुत्र रामदेव
2. जिमना पुत्री सुण्डाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 रमेश पुत्र जिमना
   2/2 भगवती उर्फ मनफूली पुत्री जीमना
3. सन्तोष पुत्री सुण्डाराम जातियान जाट निवासीगण फरड़ोद तहसील जायल
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश बिडियासर एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट।

(मोहर: सहायक कलक्टर जायल)

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 2.8895 हैक्टेयर में से रकबा 1.7766 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 बलदेव राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 2.8895 हैक्टेयर में से रकबा 1.1129 हैक्अेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पश्चिमि भाग एवं खसरा नमबर 262 रकबा 3.4965 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः सुण्डाराम, रमेश, भगवती एवं सन्तोष के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल